महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्य प्रदेश

क्रमांक 3 / डी.डी.3 / पी.एन.डी.टी. / 2020 / २९२ भोपाल, दिनांक २५ / 10 / 2020

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी,
म.प्र.।

विषय– मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियमों उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाओं के संबंध में।

संदर्भ:– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 275, भोपाल मंगलवार दिनांक 01 सितम्बर 2020–भाद्र 10, शक 1942।

––00––

उपरोक्त विषय में लेख है कि, मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रबधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 31 अगस्त 2020 क्रमांक एफ–02–05–लोसेप्र–इकसठ–1–पीएसजी–12–मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 (क्रमांक 24 सन 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुये, राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियमों उपलब्ध कराये जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय–सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय–सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया गया है।

उक्त विषय में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 04 / लोसेगा / 2020 / 56 / 2020 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाएं प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत स्वास्थ्य विभाग के नवीन सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम एवं नियम के सुचारू कियान्वयन सतत् मॉनिटरिंग हेतु पी.सी.पी.एन.डी.टी.

निरंतर.......

एम.आई.एस. संचालित है। इसके माध्यम से केन्द्रों का नवीन पंजीयन एवं पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया की जा रही है।

उपरोक्तानुसार गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत केन्द्रों के पंजीयन संबंधी कार्यवाही अधिसूचना में प्रावधानित समय–सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार</u>

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

पृक्रमांक 3/डी.डी.3/पी.एन.डी.टी./2020/ भोपाल,दिनांक /10/2020

प्रतिलिपि–

1 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
2 समस्त जिला नोडल अधिकारी पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट जिला– म.प्र.।

आयुक्त स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 275] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 सितम्बर 2020—भाद्र 10, शक 1942

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 02-05-लोसेप्र-इकसठ-1-पी.एस.जी.-12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
12.11	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केन्द्रों के नवीन पंजीयन	जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी PCPNDT	45 कार्य दिवस	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 कार्य दिवस	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
12.12	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केन्द्रों के पंजीयन का नवीनीकरण	जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी PCPNDT	30 कार्य दिवस	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 कार्य दिवस	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित— 2020.

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश - 462004

(दूरभाष क्रमांक 0755-2527134, ई-मेल health.loksevamp@gmail.com)

क्रमांक 04/लोसेगा/2020/ 56

भोपाल, दिनांक 18 /08/2020

प्रति,

संचालक (प्रशासन)
राज्य लोकसेवा अभिकरण,
पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।

विषय- "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010" के तहत स्वास्थ्य विभाग की नवीन सेवाओं को अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

—oo—

विषयान्तर्गत, स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निम्नलिखित नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम,2010 अन्तर्गत अधिसूचित किया जाना है।

सेवाओं को अधिसूचित किये जाने हेतु आवश्यक जानकारी (पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम) निम्नानुसार है:-

सेवाक्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केंद्रों के नवीन पंजीयन	जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी PCPNDT	45 दिवस	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 दिवस	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
2	PCPNDT अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत केंद्रों के पंजीयन का नवीनीकरण	जिला कलेक्टर एवं जिला समुचित प्राधिकारी PCPNDT	30 दिवस	राज्य समुचित प्राधिकारी PCPNDT	60 दिवस	सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत विभाग की उपरोक्त सेवाओं को अधिसूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

18/8/20
(डॉ. संतोष शुक्ला)
अपर संचालक (लोसेगा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.

क्रमांक 04/लोसेगा/2020/ 57

भोपाल, दिनांक 18/08/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लो.स्वा.एवं प.क. विभाग, मंत्रालय भोपाल, मध्यप्रदेश
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।

अपर संचालक (लोसेगा)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.